REGISTERED No. D. (D.N.) 72





असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (i) PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 572] नई दिल्लो, शुक्र वार, दिस स्वर 5. 1986/अत्रहायग 14. 1908 No. 572] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 1986/AGRAHAYANA 14, 1908

> इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन को रूप में रखा जा सको

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1986

म्रधिसूचना

सा. का. ति. 1259 (ग्र):—केन्द्रीय सरकार, महा-पतत न्यास ग्रजितियम, 1963 (1963 का 38) की घारा 132, की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा कांडला पत्तन न्यास के न्यासी 'मंडल द्वारा निर्मित तथा ग्रधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दिए गए कांडला पत्तन कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं प्रीन्नति) संशोधन विनियम, 1986 को ग्रनुमोदन प्रदान करती है।

 2. ये विनियम इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्न में प्रकागन की तारीज से प्रवृत्त होंगे।

> [सं. पी. डब्ल्यू. /पी. ई. भ्रार.--55/85] पी. एम. अब्राहम, अपर सचिव

ग्रनुसूची

कंडला पोर्ट ट्रस्ट

कंडला पोर्ट का न्यासी मंडल, महा पत्तन न्यास ग्रधि-नियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियमों के निर्माण हेतु कंडला पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा प्रोन्नति) विनियम, 1964 को ग्राग संशोधित करता है ग्रथांत् :---

 ये विनियम कंडला पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 1986 कहे जायेंगे।

2. कंडला पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा प्रोन्नति) विनियम 1964 के उप विनियम 13 (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:---

"भूतपूर्व सैनिकों तथा संघर्ष में मारे गए व्यक्तियों के ग्राश्नितों के पक्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके ग्रधीन पदों पर नियुक्ति के ग्रारक्षण हेत समय समय पर जारी

[PART II-SEC. 3(i)]

मादेश इन विनियमों द्वारा शासित और जिनके लिए सीधी भरती की आ रही है उन नियुन्तियों के लिए भी लागू होंगे।

> सचिव कंडला पार्ट ट्रस्ट

MINISTRY OF SURFACE TRANSLOKT

PORT S WING

New Delni, the 5th December, 1256 NOTIFICATION

G.S.R. 1259(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 read with sub-section (1) of section 132, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 1986 made by the Board of Frustees of the Kandla Port Trust and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the official Gazette.

> [F. No. PW[PER-55]85] P. M. ABRAHAM, Addl. Secy.

THE SCHEDULE

KANDLA PORT TRUST

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Kandla Port Frust further amend the Kandla Port Employees (Recruitment, Semority and Fromotion) Regulations, 1564 to make the following Regulations namely :---

- These Regulations should be called the Kandla Port Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 1936;
- (2) The Sub-regulation 13(2) of the Kandla Port Enuployees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations. 1964 shall be substituted by the following :--
 - "Orders issued by the Central Government from time to time for the reservation of appointment to posts under it in favour of ex-servicemen and dependents of those killed in action shall also apply to appointments covered by these regulations and to which direct recruitment is made."

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

2